न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 122/2026 दायर दिनांकः 04.05.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार सुनेल

—प्रार्थी

बनाम

1. सादिया पि. जैनारायण जाति मुसलमान नि. सांगरिया तहसील सुनेल

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी : — पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

अप्रार्थीगण :— एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 29.05.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वर्तमान जकाबन्दी संवत् 2071—74 खाता सं. 580 खसरा नं. 741 रकबा 0.7208 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम भूमि सादिया पुत्र जैरानारायण जाति मुसलमान सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज हैं। यह है कि मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट अनुसार सेटलमेंट के बाद के नामान्तरण सं. 01 से लगायत आदिनांक तक नामान्तरण की जांच करने पर पाया गया कि उक्त आराजी का जीवंटन बाबत् किसी तरह का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया हैं तथा ग्राम सांगरिया के आराजी ख. नं. 741 रकबा 0.7208 हैक्ट. की सेटलमेंट की जमाबन्दी तहसील कार्यालय सुनेल में उपलब्ध नहीं हैं तथा इस कार्यालय के पत्रांक भू अभि./2026/345 दिनांक 20.04.2026 के जरिए भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ढाबलाखींची को जिला कार्यालय की संबंधित शाखा में उक्त आराजी के आवंटन आदेश की प्रति हेतु आदेशित किया गया था। लेकिन जिला कार्यालय में भी उक्त आराजी के संबंध

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

में आवंटन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। जिससे यह स्पष्ट होता हैं, कि उक्त आराजी का आंवटन नहीं हुआ हैं। यह हैं कि आराजी ख. नं 741 रकबा 0.7208 हैक्ट, में गैर खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही हैं एवं न ही गैरखातेदार का मौके पर कब्जा हैं। मुताबिक ग्रामवासियान उक्त गैर खातेदार वर्तमान में गांव में भी निवासंरत नहीं हैं, न हीं हाल मुकाम के संबंध में जानकारी हैं। गैरखातेदार आसामियों पर लागू काश्तकारी अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन किया हैं। अतः निवेदन हैं कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्ठि में 136 एल आर एक्ट दुरूस्त पुनः खाता सरकार दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। तत्पश्चात अप्रार्थी की तलबी नहीं होने एवं ग्राम में निवास नहीं करने से अप्रार्थी के सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये परन्तु इसके बाद भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 18.05.2026 से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में भूअभिलेख निरीक्षक की दिनांक 17.04.2023 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.04.2026, ग्राम सांगरिया का खाता सं. 580 जमाबंदी सं. 2071–74, खसरा नक्शा दिनांक 13.04.2026, खसरा गिरदावरी सं. 2080–82, खाता सं. 236 सेटलमेंट जमाबंदी सं. 2022–41, मिलान क्षेत्रफल, नामा.सं. 171 दिनांक 02.11.1977, समाचार पत्र दिनांक 09.05.2026 की छायाप्रति प्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस एकतरफा सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सांगरिया के हाल ख.नं. 741 रकबा 0.7208 है. भूमि सेटलमेंट से पूर्व खाता सरकार दर्ज थी। उसके बाद सं. 2022 में तहसील पिडावा में सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे रिसर्वे का कार्य शुरू किया गया था। सेंटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

में परिवर्तन कर प्रार्थी सरकार की भूमि को गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था जिसका सेंटलमेंट विभाग के कार्मिको को कोई कानूनी हक व अधिकारी नहीं था। जिला रिकार्ड रूम झालावाड में तलाश करने पर भी किसी प्रकार का कोई आवंटन दस्तावेज अप्रार्थी के नाम प्राप्त नहीं मिला है। अप्रार्थी 25–30 वर्षो से ग्राम छोडकर अन्य तहसील में निवास करने लग गये है। गैरखातेदार अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है जो कि आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। वर्तमान में कुछ अन्य लोगो द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अतः राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी की गैरखातेदारी से पुनः प्रार्थी/खाता सरकार दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थी अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है।

6. पैराकार सरकार की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 से 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सांगरिया के ख.नं. 741 रकबा 2–17 बीघा. भूमि सादिया पुत्र जेनारायण जाति मुसलमान की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल के सशपथ कथनो अनुसार वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व खाता सरकार दर्ज थी और अप्रार्थी को कभी भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई। प्रार्थी तहसीलदार सुनेल का कथन है कि तहसील कार्यालय एवं जिला रिकार्ड रूम झालावाड में वादग्रस्त भूमि के आवंटन का कोई भी आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी भी ना तो न्यायालय में उपस्थित हुए है और ना ही कोई आवंटन आदेश पेश किया है। तहसीलदार सुनेल एवं हल्का पटवारी सांगरिया की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर अन्य लोगो द्वारा खेती की जा रही है। गैर खातेदार पिछले 25–30 वर्षो से गांव छोडकर स्थाई रूप से अन्यत्र बस गये है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिती के आवंटन आदेश के बिना ही प्रार्थी सरकार की वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को परिवर्तित कर सादिया पुत्र जेनारायण मुसलमान की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से दुरूस्ती योग्य है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रविष्टियों मे बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार यदि भू प्रबंधन प्रक्रिया के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भू प्रबंध के दौरान हुयी त्रुटियों को धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही दर्ज कर दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया जाये एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इंद्राज की गई गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे। अतः धारा 136 एल आर एक्ट के अधीन सेटलमेंट विभाग द्वारा अविधिक रूप से की गई प्रविष्टियों या त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल के ख.नं. 741 रकबा 0.7208 है. के संबंध में राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है। ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल के ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

741 रकबा 0.7208 है. की खातेदार की वर्तमान प्रविष्टि को दुरूस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना अपील समय गुजरने के बाद किया जाना न्यायोचित होगा। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/5/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़